फरीदाबाद मजदूर समाचार

दुनियां को बदलने के लिए मजदूरों को खुद को बदलना होगा

नई सीरीज नम्बर 64 अक्तूबर 1993 1/-

इस अंक में

- बोलने की आजादी
- वैक्यूम ग्लास में तालाबन्दी
- नेपाल बैट्री
- लेबर डिपार्टमेंट
- गुप्त प्रयोग

तीखे संघर्ष से उठते कुछ सवाल

6 सितम्बर की रात पुलिस से लड़ाई के बाद मजदूरों ने दक्षिणी इटली में क्रोटोन नगर स्थित एक केमिकल फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया। फैक्ट्री पर पुलिस के पुनः कब्जे को विफल करने के लिये सैंकड़ों मजदूरों ने फैक्ट्री में मोर्चाबन्दी की। फैक्ट्री गेटों को आती सड़कों पर मजदूरों ने ज्वलनशील फासफोरस के ड्राम खोल दिये और उनमें आग लगा दी। फायरब्रिगेड और पुलिस की आग बुझाने की कोशिशों को मजदूरों ने पत्थरों की बौछारों द्वारा फेल किया। संघर्षरत एनिकेम फैक्ट्री के मजदूरों, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगी मजदूरों ने क्रोटोन नगर रेलवे स्टेशन पर कब्जा कर लिया तथा रेल लाइनों पर धरना दे कर ट्रेनों की आवा-जाही रोक दी। रसायनों से भरे ड्रमों की सहायता से मजदूरों ने 13 सितम्बर को फैक्ट्री के निकट से गुजरती दो प्रमुख सड़कों को भी जाम कर दिया।

क्या यह क्रान्ति की शुरूआत है? नहीं, एक सरकारी कारखाने के मजदूरों के छंटनी के खिलाफ संघर्ष की यह एक झलक मात्र है।

फासफोरस का निर्माण करने वाली एनिकेम फैक्ट्री एक सरकारी कारखाना है। घाटे की हकीकत के मद्देनजर इटली सरकार ने इस फैक्ट्री के 500 में से 333 मजदूरों की छंटनी की घोषणा की। उपरोक्त बयान किये तीखे विरोध के दृष्टिगत इटली सरकार पीछे हटी है। सरकार ने क्रोटोन को विशेष क्षेत्र घोषित करके विशेष फन्डों के जरिये छंटनी के इस झमेले से अपने हाथ खींचे हैं। फलस्वरूप इटली सरकार तथा उसके सहयोगियों की आशंकाओं के अनुसार घटनायें आरम्भ हो गई हैं : एनिकेम फैक्ट्री के मजदूरों की देखा-देखी बन्दरगाह नगर तरान्तों में छंटनी के खिलाफ मजदूरों ने सरकारी कारखाने, ल्वा फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया है और छंटनी के ही खिलाफ सारदीनिया में कोयला खदान मजदूरों ने खदान के अन्दर मोर्चाबन्दी कर ली है। इटली सरकार के डगमग अर्थव्यवस्था को सम्भालने के कदमों को ही मजदूरों के तीखे संघर्ष ने डगमग कर दिया है।

वैसे, संघर्षरत एनिकेम फैक्ट्री मजदूरों से ले-दे कर जान छुड़ाने के सरकार के प्रयासों पर फाइनैंनसियल टाइम्स ने चेतावनी देते हुये 16 सितम्बर को इटली सरकार को आगाह किया था कि फासफोरस बनाने वाले इस बूढे सरकारी कारखाने में मजदूरों की छंटनी सरकार की नीति के लिये टैस्ट केस बन गई है। लेकिन अपने विद्वान सहयोगियों की नेक और सही सलाह पर अमल करने के लिये जरूरी हिटलरी कदम उठाना मौजूदा इटली सरकार के बस की बात नहीं है। तथास्तु।

दरअसल अन्य देशों की ही तरह इटली की अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ा रही है। अन्य देशों की सरकारों की ही तरह इटली सरकार भी सम्भलने के लिये मजदूरों की संख्या में कटौती, नित नये आटोमेशन आदि के जरिये लागत कम करने वाले कदम उठा रही है। लागत की तुलना मन्डी में होती है। मन्डी चूंकि आज विश्व मन्डी है और वर्ल्ड मार्केट में जूझना आज की नियती है, इसलिये प्रत्येक देश की सरकार के लिये यह कदम उठाने जरूरी हैं। सरकारों के यह कदम मजदूरों के लिये वर्क लोड में वृद्धि, वेतन में कटौती, छंटनी, सहुलियतों में कटौती, बदतर वर्किंग कन्डीशन लिये होते हैं। नई नीति के नाम पर हों चाहे पुरानी नीति को जारी रखने के नाम पर हों, सरकारों के इन कदमों का मजदूरों द्वारा विरोध स्वाभाविक है। और मजदूरों के प्रतिरोध से निपटने की सरकारों की कामयाबियां उनकी निपुणता के मापदंड हैं। इस मायने में कुछ समय से इटली में लचर सरकारें हैं। इस सन्दर्भ में नेताओं के भ्रष्टाचार/अपराधियों के साथ नेताओं की साँठ-गाँठ के सनसनीखेज समाचारों का चाहा-अनचाहा मकसद इटली में एक निपुण सरकार की स्थापना है।

लेकिन मजदूरों की असली दिक्कत लचर बनाम निपुण सरकार, नेताओं की बदमाशियां और राष्ट्रसंघ-विश्व बैंक- आई एम एफ की तिकड़मबाजियाँ नहीं हैं। मजदूर पक्ष के निर्माण और विकास में प्रमुख बाधा निजी/फैक्ट्री/प्रान्त/देश के दायरों में समस्याओं के समाधान की मान्यता और मजदूरों द्वारा इन दायरों में परेशानियों के हल तलाशने के प्रयास हैं। मजदूरों के बीच झूठ-फरेब-चमचागिरी से लेकर गुण्डागर्दी वाले इसके लक्षण तो रोज नजर आते ही हैं तीखे-बहादुराना संघर्षों पर भी इनके स्याह साये मंडराते रहते हैं। तभी तो 7 सितम्बर को एनिकेम फैक्ट्री पर मजदूरों द्वारा कब्जे के बाद वहां लहराये गये एक बैनर पर लिखा था, "मुझे परिवार पालना है, मुझे काम चाहिये!" और छँटनी की धार पर धरे एक पुरूष की पत्नी ने कहा, "हमें बस काम चाहिये, अपने लिये और अपने बच्चों के लिये।"

ऊपर कही अपनी बात स्पष्ट करने के लिये कुछ बुनियादी बातों की संक्षिप्त चर्चा जरूरी है।

प्रत्येक व्यक्ति का जीवन आज मंडी के इर्द-गिर्द बुना है। और तो और, पढाई के नाम पर बच्चों का जीना हराम करते मां-बाप तक यह सब मन्डी में अपने बच्चों का भाव बढाने के लिये करते हैं। बच्चों की जिन्दगी बनाने की झिक-झिकें अच्छी नौकरी, अच्छे धन्धे के लिये उन्हें तराशने-साँचे में ढालने से अधिक और कुछ नहीं हैं।

मन्डी में वस्तुओं के उतार-चढाव द्वारा व्यक्तियों के जीवन में उथल-पुथल लाना और वस्तु व व्यक्ति की अदला-बदली इतनी आम बातें हो गई हैं कि इस ओर अक्सर ध्यान ही नहीं दिया जाता कि मन्डी कोई सनातन-प्राकृतिक चीज नहीं है बल्कि यह मानव समाज की एक सृष्टि है – मार्केट की सामाजिक जीवन में निर्णायक भूमिका तीन-चार सौ साल से ही है। जो हो, मन्डी वर्तमान वास्तविकता का बुनियादी पहलू है और मजदूर पक्ष के निर्माण तथा विकास में मार्केट की हकीकत का निर्णायक रोल है।

मन्डी में खरीद-फरोख्त, कम-बेशी भाव का बोलबाला होता है। किसी को रोटी चाहिये अथवा किसी को परिवार पालना है अथवा किसी को काम की सनक सवार है इस सब से मन्डी का कोई लेना-देना नहीं है। मन्डी में जो वस्तुयें बिक नहीं पाती उन्हें बनाने वालों पर आफत के पहाड़ टूट पड़ते हैं। खरीदने के लिये जिनके पास पैसे नहीं हैं वे खान-पान के सामान से पटी पडी मंडी में चक्कर पे चक्कर काटें, रहेंगे खाली पेट ही। मंडी में माँग नहीं है तो डिग्रियों और एक्सपीरियन्स के कागजों से भरे झोले टाँगे, चप्पल घिसते-घिसते भी रहेंगे बोरोजगारों की कतार में ही।

यह इसीलिये है कि कारखाने बन्द होना/कारखानों में क्षमता से कम काम होना एक सामाजिक समस्या है। यह इसीलिये है कि एक की जगह तीन फसल लेने और भरे गोदामों के बावजूद दुनियाँ में भुखमरी व कुपोषण का तांडव जारी है। बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ते वर्क लोड तले दबते जा रहे मजदूर किसी कुटिल नई-पुरानी नीति-कुनीति की वजह से नहीं है बल्कि मन्डी की एक स्वाभाविक उपज है। ऐसे में रोजगार, दाल-रोटी, सिर पर छत, सुरक्षा और अपने तथा प्रियजनों के सुनहरे भविष्य के लिये मसलों को निजी मान कर उन्हें हल करने में रात-दिन एक

(बाकी पेज दो पर)

पाठकों से

इस अखबार में हम महिला एवं पुरूष मजदूरों के जीवन और आन्दोलन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा में पाठकों की अधिकाधिक भागीदारी के इच्छुक हैं। अपनी फैक्ट्री में, अपनी बस्ती में, अपनी निजी जिन्दगी में अथवा अन्यत्र निगाह में आई ऐसी सामग्री हमें भेजें। हम ऐसे मैटेरियल को प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे – नाम देना अथवा नहीं देना लिखनेवालों की इच्छा पर है। अपनी बात छपवाने के लिये आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। बेझिझक और विस्तार से अपनी बात हम तक पहुंचायें – स्वयं नहीं मिल सकें तो डाक से हमें भेजें।

इस अखबार में प्रकाशित सामग्री को स्वतंत्रता से पुनः प्रकाशित कर सकते हैं। ऐसे प्रकाशनों की हमें सूचना देंगे तो हमें अच्छा लगेगा।

मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन. आई. टी. फरीदाबाद -121001 (यह जगह बाटा चौक के पास है)

एक मजदूर का खत

मैं लालसा प्रसाद पुत्र श्री विदेशी मैसर्स भारत मशीन टूल्स प्लाट नं० 126, सैक्टर-6, फरीदाबाद में 27.8.1978 को बतौर शेपरमैन नियुक्त हुआ था। 1981 में उद्योग के श्रमिक संगठित हो कर फरीदाबाद कामगार यूनियन के सदस्य बने तथा मिल कमेटी का गठन हुआ। 1982 में मिल कमेटी के पदाधिकारियों में मैं महासचिव चुना गया तथा 22.6.82 को नियमानुसार यूनियन मिल कमेटी के पदाधिकारियों के नामों की सूची प्रबन्धकों को दी गई। 2.7.1982 को प्रातः 8 बजे प्रबन्धकों ने सभी श्रमिकों को उद्योग के गेट पर अन्दर जाने से पुलिस की मदद से रोक दिया। पूछने पर कुछ श्रमिकों को डियूटी पर प्रबन्धकों ने बुला लिया तथा 13 श्रमिकों को डियूटी पर लेने से इनकार कर दिया जिनमें मेरा भी नाम था। उसी दिन (2.7.82) शाम 3 बजे दिनांक 24.6.82 का लिखा हुआ नोटिस उद्योग के नोटिस बोर्ड पर प्रबन्धकों ने लगाया तथा उसमें गेट रोके गये मजदूरों का छंटनी करना बताया गया। इसकी सूचना एवं शिकायत तत्काल श्रम-निरीक्षक सैक्टर-7, बल्लबगढ़ को यूनियन पदाधिकारियों ने की। 12.7.82 को मैंने अपना मांग पत्र नौकरी बहाली हेतू दिया। श्रम विभाग द्वारा समझौता वार्ता विफल रही तथा हरियाणा सरकार ने अपने पत्र क्रमांक 51879/18.11.82 द्वारा "सरकार आपके केस को न्याय निर्णय हेतु श्रम न्यायालय में भेजने योग्य नहीं समझती" कह कर मेरा मांग पत्र रद्द कर दिया। मैं अपने पत्रों दिनांक 29.11.82, 1.6.83, 12.9.83, 20.7.85, 12.9.86 तथा 4.12.87 द्वारा बार-बार सरकार से अपील करता रहा तथा हर बार श्रम-विभाग हरियाणा सरकार का एक ही जवाब रहा और मेरा केस श्रम न्यायालय में नहीं भेजा गया। बेरोजगारी एवं आर्थिक अभाव के कारण मैं उच्च न्यायालय में नहीं जा सका। किसी प्रकार जानकारी मिलने पर मैंने 4.12.89 को सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी को लिख कर कानूनी सहायता पाने के लिए निवेदन किया।

सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी ने अपने पत्र क्रमांक J-12011/2/SCLAC/89/1325 दिनांक 12.12.89 द्वारा मेरा निवेदन स्वीकार कर लिया तथा मेरे केस की पैरवी के लिए कमेटी ने वकील श्री आर० वेन्कटरमानी को सौप दिया। कमेटी के वकील आर० वेन्कटरमानी ने अपने पत्र दिनांक 23.12.89 द्वारा मुझे अपनी नियुक्ति की सूचना दी तथा मुझे अपने कार्यालय (निवास) पर बुला कर केस की पूरी जानकारी तथा सभी मूल कागजात अपने कब्जे में ले लिये। तब से दिसम्बर 91 तक फोन द्वारा तथा व्यक्तिगत उपस्थिति द्वारा कभी कोर्ट में तो कभी निवास पर लगातार सम्पर्क बना रहा, लेकिन सिर्फ झूटे वादे तथा आश्वासन मिलते रहे। अन्त में मैंने कमेटी के सदस्य सचिव को 30.12.91 को पत्र लिखा तथा कोई दूसरे वकील की मांग की। जनवरी 1992 से लगातार स्वयं उपस्थित हो कर तथा लिखित अपने पत्रों दिनांक 20.1.92, 16.9.92, 14.1.93, 20.3.93 तथा 10.5.93 द्वारा सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी से उचित कार्यवाही तथा अन्य दूसरे वकील की नियुक्ति की मांग करता रहा। अन्त में 30.9.93 को सदस्य सचिव श्री गोपाल सुब्रामण्यम से व्यक्तिगत रूप से मिला तो उन्होंने साफ तौर पर किसी भी प्रकार की मेरी मदद करने से इनकार कर दिया तथा अभी तक (6.10.93 तक) मेरी मूल फाइल तथा केस से सम्बन्धित मूल कागजात भी वापस नहीं किये हैं। जब सुप्रीम कोर्ट जैसे देश के सर्वोच्च न्याय मन्दिर में कानून की आड़ में जनता के जीवन से खिलवाड़ होता है तो उसकी निचली अदालतों से क्या जनता न्याय की आशा करेगी? उपरोक्त सभी तथ्यों की जानकारी तथा न्याय की मांग मैंने मुख्य न्यायमूर्ति, सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया से भी अपने पत्र दिनांक 30.12.91 तथा 10.8.92 द्वारा तथा माननीय विधि एवं न्याय मन्त्री, विधि मन्त्रालय, भारत सरकार से भी अपने पत्र दिनांक 6.3.1993 द्वारा उचित कार्यवाही एवं अपने प्रति न्याय की मांग की लेकिन इन लोगों से भी कोई जवाब नहीं मिला। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस देश की न्यायपालिका, कानून तथा मन्त्री सभी गरीब-असहाय जनता को लुभावने सपने दिखा कर गुमराह रखने तथा लूटने के लिए ही हैं। इनसे किसी प्रकार की मदद एवं रक्षा की आशा न करना ही अक्लमन्दी है।

– लालसा प्रसाद

तीखे संघर्ष से .....

(पेज एक का शेष)

करना वर्तमान की हकीकत से मुँह चुराना है। यह 1938 की तस्वीर की एक और पुनरावृति मात्र है– 1938 में पाँच करोड़ लोगों का कत्ल लिये युद्ध के मुहाने खड़े लोग नौकरी-धन्धे और बच्चों के दाखिले जैसे कामों में पूर्णतः लग्न थे।

मन्डी आज बुनियादी तौर पर विश्व मन्डी है। ऐसे में एक फैक्ट्री के दायरे में समस्याओं को देखना, उन्हें हल करने के लिये मेहनत करना तथा कुर्बानी देना हद से हद हालात में उन्नीस-बीस का फर्क ला सकती हैं। आज चौतरफा कटौती के माहौल में तो ऐसे प्रयासों द्वारा एक फैक्ट्री के दायरे में मजदूर ऐसे हमलों को कुछ समय तक टालने और उनकी रफ्तार में फर्क डालने से ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर सकते। यही हाल प्रान्त अथवा देश के दायरे में समस्याओं की जड़ मानने और उससे निपटने के प्रयासों का होता है। इससे होता यह है कि समस्यायें बढ़ती जाती हैं और मजदूरों में "दो-तिहाई आबादी खत्म हो जाये तो चैन मिले" जैसे विचार पनपने लगते हैं। यह फ्रान्स हो चाहे भारत, हिटलरी शक्तियों के विकास के लिये उपयुक्त माहौल का बनना होता है। देशी-विदेशी के नाम पर दुनियां-भर में बढ़ रहे फसादों की लहर हो चाहे एक देश के अन्दर क्षेत्र-धर्म-भाषा के नाम पर लगती आग हो, इनकी जड़ मन्डी (विश्व मन्डी) के बने रहते समस्याओं के समाधान की कोशिशें और उन कोशिशों का लगातार फेल होना है।

इटली में मजदूरों का तीखा संघर्ष मंडी के लिये प्रोडक्शन के खिलाफ आक्रोश की अभिव्यक्ति है लेकिन इस संघर्ष में मजदूरों ने स्वयं मंडी व्यवस्था पर प्रश्न नहीं उठाया है। संघर्षरत मजदूरों और उनके समर्थकों ने ध्याड़ी की दास्ता/उजरती गुलामी/वेज स्लेवरी पर भी प्रश्न नहीं उठाया है बल्कि उन्होंने तो उजरती गुलामी के प्रति नतमस्तक होने का आभास ही दिया है। काम बोझ है– इस हकीकत को उजागर करने की बजाय इस मजदूर संघर्ष में भी काम का भूत मजदूरों पर इस कदर सवार है कि यह फरीदाबाद के उन मजदूरों की याद दिलाता है जो दो दिन की छुट्टी होने पर कहते हैं, "कोई काम नहीं है, बोर होंगे!" फुर्सत.... फुर्सत की चाह कहां गायब हो गई है? मन्डी के जाल में कसे छटपटा रहे हमारे तन और मन मन्डी के लिये उत्पादन की जगह इन्सानों की जरूरत के मुताबिक प्रोडक्शन के लिये आवाज बुलन्द क्यों नहीं कर रहे?

(जानकारी हमने "चैलेंज" के 29 सितम्बर 93 अंक से ली है।)

प्रकाशित

मजदूर आन्दोलन की एक झलक

200 पेज, पचास रूपये

यह किताब फरीदाबाद मजदूर समाचार में पिछले पांच साल में प्रकाशित सैद्धान्तिक लेखों, विश्लेषणों और रिपोर्टों का सम्पादित संकलन है। इस पुस्तक में मजदूर आन्दोलन की सतत प्रक्रिया के एक अंश के जरिये इस आन्दोलन की हकीकत, मजदूर वर्ग की कमजोरी व ताकत तथा समस्याओं व सम्भावनाओं को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

किताब में चर्चित विषय हैं:

- फरीदाबाद की फैक्ट्रियों के घटनाक्रम का विस्तृत वर्णन।
- भारत के औद्योगिक क्षेत्रों के घटनाक्रम का विश्लेषण।
- अन्य देशों में मजदूर आन्दोलन की रिपोर्टें।
- राजनीतिक- सामाजिक विश्लेषण।

यह किताब मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, फरीदाबाद- 121001 से प्राप्त की जा सकती है। डाक द्वारा पुस्तक मंगाने के लिये शेर सिंह, सम्पादक फरीदाबाद मजदूर समाचार के नाम 55 रूपये का बैंक ड्राफ्ट/मनीआर्डर भेजें।

पांच-छह अरब लोगों के हाथों में अर्थपूर्ण भविष्य की कुंजी है – पांच-छह अरब के सचेत सामुहिक हाथों में। मजदूर पक्ष के निर्माण के लिये आवश्यक सचेत सामुहिक एकता में योगदान के उद्देश्य से हम यह अखबार प्रकाशित करते हैं।

तिल-तिल कर जल रही, घुट-घुट कर मर रही, हलाल हो रही अधिसंख्य मानव आबादी की दुखद हकीकत के हावी माहौल में भी अकस्मात होती सामुहिक मौतें बेहद दुखद घटनायें हैं। ऐसे अवसरों पर बढ़ते पैमाने पर प्रदर्शित हो रहे छवि-निर्माण के प्रयास तथा लाशों को घूरती-अखबार चाटती-टी वी निहारती वीभत्स से रोमांच प्राप्त करती तमाशबीनों की अनन्त कतारें और भी दुखद तथ्य हैं।

लाटूर-उस्मानाबाद क्षेत्र में अगस्त 92 और अक्टूबर 92 के बीच भूकम्प के एक सौ से अधिक झटके लगे थे। सरकार को सूचनायें दी गई थी और आतंकित लोगों ने रहने के लिये अन्य जगह दिये जाने के अनुरोध किये थे। लेकिन न तो कलेक्टर व अन्य अधिकारियों के कान पर जूँ तक रेंगी और न ही मंत्रियों व महाराष्ट्र विधान सभा के पास इस सब के लिये समय था। पांच-सात लाख रुपये खर्च करके सरकार हजारों लोगों को मौत के मुंह में धकेलने से स्वयं को रोक सकती थी। लाटूर-उस्मानाबाद क्षेत्र में 30 सितम्बर 93 को रिश्टर पैमाने पर साढे छह के आँकड़े वाला भूकम्प आया। पृथ्वी पर रिश्टर पर छह-सात आंकड़े वाले भूकम्प कोई अजूबा नहीं हैं। कुछ वर्ष पहले भूकम्प के ऐसे झटके आर्मेनिया और सैन फ्राँसिस्को में लगे थे। आर्मेनिया में लाटूर-उस्मानाबाद की तरह तीस हजार लोग मरे जबकि सैन फ्रांसिस्कों में भूकम्प के वैसे ही झटके से 67 लोग मरे थे। आज भूकम्प के झटके झेलने वाले मकान बनाने की क्षमता मानव ने हासिल कर ली है। इस क्षमता का इस्तेमाल सैन फ्रांसिस्को में मकान बनाने में किया गया लेकिन लाटूर-उस्मानाबाद और आर्मेनिया में इस उपलब्धि का प्रयोग नहीं किया गया। प्राकृतिक विपदा में होते विनाश में भी प्राकृतिक की भूमिका गौण होती है। अकाल-बाढ़-तूफान-भूकम्प के दौरान लगते लाशों के ढेर और मिसाइलों द्वारा लगाये जा रहे लाशों के अम्बार भिन्न नहीं हैं।

लाटूर-उस्मानाबाद में लाशों के ढेर पर इस मानवद्रोही व्यवस्था के प्रमुख स्तम्भों, नेताओं के टोल औरअन्यों द्वारा अपनी-अपनी छवि बनाने के प्रयासों की भर्त्सना जरूरी है। इस व्यवस्था में शोषित-उत्पीड़ित लोगों द्वारा वीभत्स के प्रति नतमस्तक होने की अपनी प्रवति से निपटने के लिये आत्म-निरीक्षण उपरोक्त से अधिक महत्वपूर्ण है।

भूकम्प पीड़ितों की आगे बढ़ कर सहायता करें।

इस भयावह त्रासदी, हजारों लोगों के इस कत्ल के लिये जो जिम्मेदार हैं उनके हाथों में सहायता सामग्री कृपया मत सौंपें।

बोलने की आजादी

शेर सिंह

संविधान द्वारा प्रदत्त अपनी बात कहने की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ इतने किन्तु-परन्तु जुड़े हैं कि कीचड़ में डुबकी लगा कर चांदी बटोरने वाले काले कोट वालों के दिल की बात का तो हमें पता नहीं पर हाँ, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को बोलने की आजादी के बारे में शायद ही कोई भ्रम है। थानों में पहुंच जाने पर तो बुद्धु से बुद्धु और नाक तक देख पाने वाले पढ़े-लिखे टट्टुओं के भी अपनी बात कहने की आजादी के बारे में भ्रम फौरन हवा हो जाते हैं।

बोलने की आजादी से भी बड़ा एक भारी-भरकम शब्द इधर हवा को बोझिल कर रहा। मानवाधिकार वाले इस गुब्बारे में गैस उन लोगों ने भरी है जो मिसाइलों की बौछार से लाखों का जश्न की हूरों के पास भेजने वक्त चेहरे पे शिकन तक नहीं आने देते! और इधर मानवाधिकार कमीशन वे लोग बना रहे हैं जिनके संविधान सम्मत कानूनों के मुताबिक नागरिकों को बरसों बिना मुकदमे चलाये जेलों में बन्द रखा जा रहा है।

खैर। यहां बोलने की आजादी के सन्दर्भ में हो कुछ अलग ढंग से चौंकाने वाली दो घटनाओं पर विचार करें।

सुश्री नैन्सी अडजानिया ने टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की इलस्ट्रेटेड वीकली के 10-16 अप्रैल 93 अंक में एक लेख में अपनी बात कही। इस लेख में नैन्सी ने भारत देश की दो पवित्र गऊओं, शिवाजी और लक्ष्मी बाई के इर्द-गिर्द बुने किस्सों की कुछ परतें उघाड़ी। इस पर अपनी बात कहने की स्वतंत्रता की बात करने वाले संविधान की दिन-रात कसम खाने वाली महाराष्ट्र विधानसभा के मुँह में झाग आ गये। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों वाली, भिन्न-भिन्न मतों के सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा ने एकमत से, सर्वसम्मति से सुश्री नैन्सी अडजानिया के लेख पर पाबन्दी की घोषणा की। फासिस्ट-हिटलरी शक्तियों से जनतन्त्र की रक्षा के लिये कमर कसे डन्ड पेल रही कॉंग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने नैन्सी अडजानिया की गिरफ्तारी के वारन्ट जारी कर दिये – नैन्सी को हाई कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी। और प्रेस की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का झंडाबरदार टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप गश खा कर गिर गया – इन लोगों ने सुश्री नैन्सी अडजानिया के लेख वाला इलस्ट्रेटेड वीकली का अंक तत्काल वापस ले लिया और माफी... माफी...

दूसरी घटना बंगलादेश की है। सुश्री तसलीमा नसरीन के लोकप्रिय हुये बंगला उपन्यास "लज्जा" पर सोनार बाँग्ला में कुछ लोग इतनी खार खा गये हैं कि तसलीमा नसरीन को कत्ल करने का फतवा जारी कर दिया गया है। और मुक्ति युद्ध से उपजे देश की सरकार ने निर्लज्जता से "लज्जा" पर पाबन्दी लगा दी है तथा सुश्री तसलीमा नसरीन का पासपोर्ट जब्त कर लिया है।

अपनी बात कहने के ढंग के बारे में विचार करने का समय आ गया है। अपनी बात आजादी से कहने के लिये माहौल बनाने के वास्ते कदम उठाने में देरी की भारी कीमत चुकानी होगी।

हिन्दुस्तान वैक्यूम ग्लास में तालाबन्दी

फैक्ट्री में ठेकेदारी प्रथा लागू करने के लिये मैनेजमेंट और यूनियन के बीच हुये समझौते को मजदूरों ने जब ठुकरा दिया तब मैनेजमेंट ने जबरन ठेकेदारी लागू करने के लिये एक यूनियन लीडर के आदमी को ठेका दिया। मजदूरों द्वारा मैनेजमेंट की इस कार्रवाई का जुझारू विरोध होने पर फैक्ट्री के अन्दर पुलिस बुला ली गई थी। पुलिस के आतंक फैलाने के विरोध में वैक्यूम ग्लास के मजदूरों ने हड़ताल की और 16 अगस्त को फैक्ट्री के बाहर डेरा जमाया।

अपने दम पर कुछ करने के नाम तक पर मजदूरों को पसीने आ जाते हैं और फिर, रंग बदलने में नेता लोग गिरगिट को मात करते हैं। ऐसे में मजदूर जानते-बूझते भी विचौलियों के पीछे हो लेते हैं। और यही वैक्यूम ग्लास में भी हुआ। ठेकेदारी प्रथा लागू करने में मैनेजमेंट को खुलेआम सहयोग दे रहे यूनियन नेताओं ने ही ठेकेदारी का विरोध कर रहे हड़ताली मजदूरों का नेतृत्व करना जारी रखा। नेगोशियेशन की ड्रामेबाजी चली और डी एल सी की देख-रेख में मैनेजमेंट तथा यूनियन के बीच 11 सितम्बर को समझौता हुआ। इस समझौते में एच एम एस यूनियन ने एक बार फिर वैक्यूम ग्लास फैक्ट्री में ठेकेदारी लागू करने में सहयोग देने का वचन दोहराया। लीडरों ने मजदूरों से हकीकत छिपाई और लच्छेदार बातें करके 13 सितम्बर से फैक्ट्री में काम शुरू करने की घोषणा की।

13 सितम्बर को वैक्यूम ग्लास के मजदूरोंने खुशी-खुशी फैक्ट्री में काम शुरू किया। सब काम ठीक-ठाक चला पर 14 सितम्बर को फैक्ट्री में ठेकेदार द्वारा काम शुरू करवाने पर मजदूर पहले तो भौंचक्के रह गये और फिर गुस्से में उबल पड़े। मैनेजमेंट ने फैक्ट्री में फिर पुलिस बुला ली। मैनेजमेंट-ठेकेदार-पुलिस की गुन्डागर्दी के खिलाफ हिन्दुस्तान वैक्यूम ग्लास के मजदूर डट कर खड़े हो गये और उन्होंने यूनियन लीडरों को फिर दुत्कार दिया। इस पर पुलिस ने मार-पीट कर 15 सितम्बर को मजदूरों को फैक्ट्री से निकाला और मैनेजमेंट ने तालाबन्दी की घोषणा कर दी।

यूनियन लीडरों के आश्वासन पर मैनेजमेंट ने लॉक आउट की घोषणा में थोड़ा फेर-बदल किया और नेता लोग मजदूरों को फोड़ने में जुट गये। इस सिलसिले में नेताओं ने 18 सितम्बर को एक मीटिंग रखी जिसमें फैक्ट्री के यूनियन नेताओं और एच एम एस के फरीदाबाद स्तर के नेता ने मजदूरों से ठेकेदारी प्रथा मनवाने के लिये बहुत पापड़ बेले। वैक्यूम ग्लास के मजदूर उनकी बातों में नहीं आये। यूनियन लीडरों की मजदूरों में फूट डालने की कोशिशें भी फेल हो गई। मैनेजमेंट ने जब देखा कि मजदूरों को कन्ट्रोल में करना यूनियन के बस में नहीं है तब उसने 21 सितम्बर को भट्टी गिराई।

इतना कुछ देख और कर चुके मजदूरों का अब भी नेताओं के चक्कर में रहना मजदूरों द्वारा आत्महत्या करना होगा। वैक्यूम ग्लास मजदूरों को झिझक और डर से पार पाना होगा। अपने बल पर कदम उठाने जरूरी हैं। संघर्ष समिति और गेट साइड मीटिंग इस दिशा में सहायक हो सकते हैं। मैनेजमेंट, विचौलियों और लेबर डिपार्टमेंट की कोशिशें वैक्यूम ग्लास के मजदूरों की ताकत बिखेरने की हैं। अपनी ताकत बढ़ाने वाले कदम उठा कर ही वैक्यूम ग्लास के मजदूर अपने हितों की देखभाल कर सकेंगे।

लेबर डिपार्टमेंट

29 मई को बाटा फैक्ट्री के एक अधिकारी की लापरवाही से हुई एक मजदूर की मौत को रफा-दफा करने की कोशिशों में एक मजदूर के हस्तक्षेप ने अड़ंगा डाल दिया। उसने 14 जून को डी एल सी को घटना की सूचना देते हुये लेबर डिपार्टमेंट द्वारा मामले में कार्यवाही का अनुरोध किया।

असम्बद्ध बातों और टाल-मटोल द्वारा मामले को दाखिल दफ्तर करने वाली रूटीन गह लेबर डिपार्टमेंट और बाटा मैनेजमेंट ने इस केस में भी अपनाई। सूचना देने वाले मजदूर के कार्यवाही की डिमान्ड पर अड़े रहने ने साहब लोगों के लिये कुछ अलग किस्म के पापड़ बेलने जरूरी बना दिये।

बाटा मैनेजमेंट मृत मजदूर की पत्नी को लेबर डिपार्मेंट ले गई। एक कागज पर लिखा गया : मृत श्रमिक की पत्नी ने डी एल सी को कोई शिकायत नहीं की है; जो शिकायत है उसे खारिज किया जाये। उसके बाद उस स्त्री का अँगूठा लगा दिया गया। और साहब लोग चौड़े हो कर बैठ गये।

अधिकारी की लापरवाही से हुई मजदूर की मौत के मामले के बारे में कई बार मिलने और रिमाइन्डर देने पर डी एल सी ने प्रथम सूचना के तीन महीने बाद, 20 सितम्बर को सम्बन्धित मजदूर को सूचित किया कि मृत श्रमिक की पत्नी के आवेदन पर मामले को दाखिल दफ्तर कर दिया गया है। वाह! वाह!! सुभानअल्लाह !!!

लेकिन मामले को उठाने वाले मजदूर का अड़ियलपन देखिये कि लेबर डिपार्टमेंट की इस निर्लज्जता पर भी उसने कागजी कुश्ती का अखाड़ा नहीं छोड़ा है। मामले को रफा-दफा करने की तिकड़म की काट के लिये उसने डी एल सी की नींद में खलल डालने वाला कागजी तीर दाग दिया है क्योंकि कुम्भकर्णों की नाक में भी तिनकों का कुछ वजन होता है।

नेपाल बैट्री

यूनियन कार्बाइड की काठमान्डु स्थित नेपाल बैट्री के मजदूरों ने अपनी डिमान्डों के लिये 21 जनवरी को हड़ताल आरम्भ की थी। मैनेजमेंट और नेपाल सरकार ने हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित कर दिया था। मैनेजमेंट ने गुन्डागर्दी से हड़ताल तोड़ने की कोशिश की पर सफल नहीं हुई। कई देशों से नेपाल बैट्री के हड़ताली मजदूरों के समर्थन में आवाजें उठी।

नेपाल बैट्री के हड़ताली मजदूरों के डटे रहने, विभिन्न देशों से उनके समर्थन में उठी आवाजों और भोपाल काँड में आगे ही बहुत बदनाम हो चुकी यूनियन कार्बाईड कम्पनी की नई बदनामी के प्रति चिन्ता की वजह से आखिरकार नेपाल बैट्री मैनेजमेंट को झुकना पड़ा है। 30 अगस्त को हड़ताली मजदूरों और मैनेजमेंट के बीच समझौते के बाद हड़ताल समाप्त कर दी गई है। काठमान्डु से प्रकाशित वरकर्स न्यूज के मुताबिक साढे सात महीने की हड़ताल द्वारा नेपाल बैट्री के मजदूरों ने सफलता हासिल की है।

नेपाल में बाल मजदूरों के बारे में काठमान्डु से अंग्रेजी में "वॉयस ऑफ चाइल्ड वरकर्स" प्रकाशित होती है। इस पत्रिका का दृष्टिकोण राष्ट्रवादी है लेकिन इसमें बाल श्रमिकों के बारे में विस्तृत सामग्री है। नेपाली भाषा में यह सामग्री "बाल सरोकार" पत्रिका में उपलब्ध है। सम्पर्क के लिये पता है :

पोस्ट बॉक्स नम्बर 4374

काठमान्डु

नेपाल

आटो लैम्प में तालाबन्दी जारी

गुप्त प्रयोग

एटम बम से हमले के बाद दुश्मन पर चढाई करने की सिखलाई एक फौजी ट्रेनिंग का लक्ष्य था। माहौल को असलियत का रंग देने के लिये एक चालीस किलोटन एटम बम का विस्फोट किया गया। धमाके के बीस मिनट बाद चुने हुये 44000 तन्दरूस्त व ताकतवर अफसरों और सिपाहियों ने "दुश्मन" के गढ पर हल्ला बोला। दौड़ कर एटम बम के विस्फोट वाले स्थान से होते हुये गोलियां चला कर धूमधमाका किया गया और उसके बाद कपड़ों से धूल झाड़ कर वे सब फौजी अन्य कामों में लग गये। रेडियेशन-विकीर्ण के खतरों का उन हट्टे-कट्टे फौजियों को पता ही नहीं था। उन्हें उस ट्रेनिंग पर भेजने वाले जनरलों-वैज्ञानिकों ने देश-हित में एक और गुप्त प्रयोग मात्र किया था। यह कुछ साल पहले की बात है।

7 से 15 वर्ष आयु के 400 स्वस्थ बच्चे जो कि हॉस्टलों में रह रहे थे उन पर 1987 में एक नये टीके का गुप्त प्रयोग किया गया। 1991 में 2 से 5 वर्ष आयु के 153 बच्चों पर एक अन्य टीके का ऐसा ही प्रयोग किया गया। 1992 में शिशु गृहों में अक्सर आने वाले एक से 4 वर्ष आयु के बच्चों पर एक टीके से होने वाले हानिकारक प्रभावों का अध्ययन करने के लिये गुप्त प्रयोग किये गये।

(सामग्री हमने मास्को न्यूज के 1 अक्टूबर 93 अंक से ली है।)

सूचना

डाक से साल-भर अखबार प्राप्त करने के लिये 15 रुपये बैंक ड्राफ्ट/ मनीआर्डर द्वारा शेर सिंह, सम्पादक, फरीदाबाद मजदूर समाचार के नाम से मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, फरीदाबाद – 121001 के पते पर भेजें।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे के ऑफसैट दिल्ली से मुद्रित किया। RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73

मुद्रक : आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, गोहाना रोड, रोहतक, फोन : 72874